भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का कार्यालय
10, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली-110124
<u>परीक्षा अनुभाग</u>

(केवल आई ए एंड ए डी के लिए)
सं. 340/33-परीक्षा/छूट/एससी एवं एसटी/2019
दिनांक 03/07/2023

2023 का परिपत्र सं.3

सेवा में

भारतीय लेखापरीक्षा एवं लेखा कार्यालयों के सभी विभाग प्रमुख
(ई-मेल सूची के अनुसार)

विषयः-अधीनस्थ लेखापरीक्षा/लेखा सेवा (एसएएस) परीक्षा-1-2023- अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/बेंचमार्क विकलांग व्यक्तियों वाले परीक्षार्थियों के लिए छूट स्तरों का निर्धारण

महोदया/महोदय,

भारत सरकार, कार्मिक एवं लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय (कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग) के दिनांक 3 अक्तूबर 2000 के पत्र सं. 36012/23/96-स्था (आरईएस) खण्ड-II और दिनांक 17/05/2022 के डीओपीटी ओएम स. 36012/1/2020-स्था (आरईएस-II) के पैरा 8 के अनुसरण में भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक ने मई 2023 में आयोजित होने वाली 2023 की एसएएस परीक्षा-1 के लिए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पीडब्ल्यूबीडी श्रेणियों से संबंधित परिक्षार्थियों को अनुमत की जाने वाली छूट की सीमा के लिए सावधानीपूर्वक विचार किया है और निर्णय लिया है कि छूट की सीमा निम्न प्रकार होगीः

अधीनस्थ लेखा/लेखापरीक्षा, परीक्षा के सभी प्रश्नपत्रों के लिए प्रत्येक प्रश्नपत्र में 5% तक की छूट होगी। दूसरे शब्दों में, उन परीक्षार्थियों को जो विशिष्ट प्रश्न पत्र में 40% से कम अंक प्राप्त नहीं करते हैं, को उस प्रश्नपत्र में छूट के साथ-साथ उत्तीर्ण घोषित करने के लिए 5% तक अंकों की छूट प्रदान की जाएगी।

इसके अलावा, पीडब्ल्यूबीडी श्रेणी के एससी/एसटी कार्मिक, जिन्हें पहले से ही प्रत्येक पेपर 5% अंकों तक की छूट मिल रही है, उन्हें अपनी बेंचमार्क अक्षमताओं के कारण कोई और छूट नहीं मिलेगी और उन्हें उत्तीर्ण और साथ ही एसएएस परीक्षा के उस पेपर में छूट प्राप्त करने के लिए प्रत्येक पेपर में कम से कम 40% अंक प्राप्त करने होंगे।

उपरोक्त छूट केवल 2023 की अधीनस्थ लेखा/लेखापरीक्षा सेवा, की परीक्षा-I के लिए हैं। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पीडब्ल्यूबीडी अभ्यर्थियों के लिए इस प्रकार की छूट की सीमा का निर्धारण भविष्य में आयोजित की जाने वाली ऐसी परीक्षाओं के आयोजन से पूर्व किया जायेगा।

इस छूट के लिए व्यापक प्रचार किया जाए और अनु.जा./अनु.ज.जा./पीडब्ल्यूबीडी परीक्षार्थियों को समुचित रूप से उपर्युक्त छूट के बारे में सूचित कर दिया जाए।

भवदीय,

3/7/23

(हीरक बागची)
वरिष्ठ प्रशासन अधिकारी (परीक्षा)